



भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
Security Printing and Minting Corporation of India Limited

मिनीरत्न श्रेणी-I, सीपीएसई
(भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन)
Miniratna Category-I, CPSE
(Wholly owned by Government of India)

भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि./सतर्कता/417/16/8
SPMCIL/VIG/417/16/8

दिनांक:03.04.2017
Date: 03.04.2017

परिपत्र संख्या 06/17/CIRCULAR NO. 06/17

विषय/Sub: भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि. की इकाइयों द्वारा जारी किये जा रहे निविदा दस्तावेजों में सामग्री या सेवा के विनिर्देशन के संदर्भ में | Specifications of material or services in all tender documents issuing by the SPMCIL units - reg.

सतर्कता विभाग द्वारा यह पाया गया है कि इकाइयों द्वारा जारी या भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि. की साइट पर अपलोड किये जा रहे निविदा दस्तावेजों में उल्लिखित विनिर्देशन (जैसे विशिष्ट काम / सेवाओं / विवरण / सामग्री / आइटम का विवरण) का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया जा रहा है।

It has been observed by the Vigilance Department that the specification (such as specific job/services / details of material/item..etc) are not being clearly mentioned in tender documents being uploaded on SPMCIL web-site or issuing by units, .

2. सक्षम प्राधिकारी ने इन अनियमितताओं को गंभीरता से संज्ञान में लिया है। इस संदर्भ में, सभी संबंधितों को एतद् द्वारा यह सलाह दी जाती है कि वे यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में ऐसी अस्पष्टता की व्याख्या की पुनवृत्ति ना हो।

2. Competent Authority has viewed the above lapses seriously. In this regard, all concerned are hereby advised to ensure that ambiguity in interpretation is not repeated in future.

- पृष्ठ संख्या 2 पर जारी - / - Contd. at Page 2 -

प्रतिभूति मुद्रण विभाग
05/04/17

भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि./सतर्कता/10/9 (खण्ड IV)/8
SPMCIL/VIG/10/9 (Vol.IV)/8

दिनांक: 03.04.2017
Date: 03.04.2017

3. इस परिपत्र का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए तथा सभी संबंधितों को जानकारी दी जाए। इसे इकाई की वेबसाइट पर भी डाला जाए तथा विभागीय सूचना बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाए।
3. The widest possible publicity should be given to his circular and all concerned should be informed. It should also be uploaded on the website of the unit & displayed on the sectional notice board.
4. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
4. This issues with the approval of Competent Authority.

S. Behera
05/04/17

(शशिभूषण बेहेरा)/(SHASHIBHUSHAN BEHERA)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/Dy. CVO

महाप्रबंधक/The General Manager,

टकसाल/मुद्रणालय/कागज कारखाना/Mints/Presses/Paper Mill,
भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि./SPMCIL

प्रतिलिपि:

1. अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक।/ CMD.
2. निदेशक (तक./मा.सं.)/मु.स.अ.।/Director (Tech/HR)/CVO.
3. मुख्य वित्तीय अधिकारी/Chief Financial Officer.
4. अपर महाप्रबंधक (नि.मु.)।/Addl. GMs (CHO).
5. उप महाप्रबंधक (नि.मु.)/उप मु.स.अ./DGM (CHO)/Dy. CVO.
6. मुख्य प्रबंधक (नि.मु.)/Chief Managers (CHO)
7. प्रबंधक (नि.मु.)/Managers (CHO).
8. सभी सतर्कता कार्यपालक (नि.मु./इकाइयां)/All Vigilance Officials (CHO/units).
9. सूचना पटल एवं वेबसाइट।/Notice Board & Website.